केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 31.03.2017

सीबीआई ने 10.30 करोड़ रू. (लगभग) मूल्य की कथित गैर अनुपातिक सम्पत्ति रखने पर तत्कालीन केन्द्रीय इस्पात व सूक्ष्य, लघु, मध्यम, उद्यम मंत्री एवं 08 अन्यों के विरूद्ध आरोप पत्र दायर किया

सीबीआई ने गैर अनुपातिक सम्पत्ति रखने के आरोप पर तत्कालीन केन्द्रीय इस्पात व सूक्ष्य, लघु, मध्यम, उद्यम (एम.एस.एम.ई.), मंत्री ; उनकी पत्नी और एल.आई.सी. एजेन्ट, परवानू (हिमाचल प्रदेश) स्थित प्राइवेट फर्म के मालिक, स्टाम्प विक्रेता, दिल्ली की प्राइवेट फर्म के प्रबन्ध निदेशक सहित सात अन्य व्यक्तियों कें विरूद्ध सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश की अदालत, पटियाला हाऊस कोर्ट, नई दिल्ली मे आरोप पत्र दायर किया।

ऐसा आरोप था कि मई, 2009 से जून, 2012 तक की अवधि के दौरान तत्कालीन केन्द्रीय इस्पात व सूक्ष्य, लघु, मध्यम, उद्यम मंत्री (भारत सरकार), नई दिल्ली ने आपराधिक अवचार किया तथा अपने नाम के साथ ही साथ पत्नी एवं बच्चों सहित अपने पारिवारिक सदस्यों के नाम पर 10,30,47,946 रू. (लगभग) की गैर-अनुपातिक की सम्पत्ति बनाई। अन्य ने कथित रूप से समझौता ज्ञापन, विक्री से प्राप्त मुनाफा एवं एक अन्य आरोपी की फर्मो के लिए वर्ष 2014 के दौरान आयकर प्राधिकारी के समक्ष एक आरोपी के द्वारा जमा किए गए दस्तावेज, जो कि उक्त तत्कालीन मंत्री की गैर-अनुपातिक सम्पत्तियों को वैध करार देने हेतु बनाये व प्रयोग किए गए, के रूप में झूठे दस्तावेजों सहित अपराध को करने में तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री का सहयोग किया। उनके आय के ज्ञात स्रोत से 192% तक की सम्पत्ति असंगत थी।

सीबीआई ने गैर-अनुपातिक सम्पत्तियों को रखने के आरोप पर तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री ; उनकी पत्नी; दो प्राइवेट व्यक्तियों एवं अन्य अज्ञातों के विरूद्ध दिनांक 23.09.2015 को मामला दर्ज किया। वर्तमान प्राथमिक सूचना रिपोर्ट प्रारम्भिक पूछतॉंछ का परिणाम था जिससे पता चला कि तत्कालीन केन्द्रीय मंत्री, वर्ष 2009-2012 की सेवा के दौरान कथित रूप से अपने व अपने परिवारिक सदस्यों के नाम पर सम्पत्तियॉं बनाई जो कि उनके आय के ज्ञात स्रोत से गैर-अनुपातिक पाई गई।

शिमला व सोलन (हिमाचल प्रदेश) एवं नई दिल्ली में 13 अलग-अलग स्थानों पर दिनांक 26.09.2015 को तलाशी की गई जिसमें अनापत्तिजनक दस्तावेज, सम्पति के दस्तावेज, निवेशों के प्रपत्र, हॉर्ड डिस्क व पेन ड्राइव्स बरामद हुऐ।

जनमानस को याद रहे कि उपरोक्त विवरण सीबीआई द्धारा की गयी जॉंच व इसके द्धारा एकत्र किये गये तथ्यों पर आधारित है। भारतीय कानून के तहत आरोपी को तब तक निर्दोष माना जायेगा जब तक कि उचित विचारण के पश्चात दोष सिद्ध नही हो जाता।

****